न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 171/2013

ख्यालीराम पुत्र रजीराम जाति जाट निवासी चक 1 टी.एस.एम. तहसील श्रीविजयनगर।

—अपीलांट

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीविजयनगर।
2. गोरी शंकर
3. राम कुमार
4. ईशराराम

पिसरान लाधूराम पुत्र मेतीराम जाति नाई निवासी 1 टी.एस.एम. तहसील श्रीविजयनगर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू राजस्व अधि. 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

दिनांक 16.08.2013

उपस्थिति—

श्री सुखदेवसिंह बुटर अभिभाषक अपीलांट

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्त

श्री राजीव जग्गा अभिभाषक रेस्पों. सं. 2

निर्णय

दिनांक— 19-7-2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी लाधूराम ने उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के समक्ष प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी का रकबा चक 1 टी.एस.एम का मु.नं. 164/7 का 18.00 बीघा अनकमाण्ड आवंटनशुद्धा है। उक्त रकबा किश्ते समय पर जमा नहीं हो पाने की वजह से खारिज कर दिया गया था। अब प्रार्थी बकाया किश्तें जमा करवाकर रकबा बहाल करवाना चाहता है। रकबा पर कोई विवाद नहीं है तथा स्वयं के कब्जा काश्त में है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी से रकबा की बकाया किश्तें जमा कराई जाकर रकबा बहाल किया जावे।

(A) उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 16.08.2013 से प्रार्थी को आवंटित रकबा चक 1 टीएसएम तहसील श्रीविजनगर का प.नं.

16/7 का कि.नं. 1 ता 15, 19, 20, 22 कुल 18.00बीघा अनकमाण्ड भूमि की नियमानुसार समस्त बकाया राशि एक मुश्त एक माह में जमा करवाने पर रकबा बहाल करने के आदेश दिये।

(B) उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है। अपील के साथ अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया है।

(C) तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में मुन्तकिली प्रा.पत्र पेश होने पर दिनांक 07.04.2014 को इस प्रकरण में कार्यवाही स्थगित रखने के आदेश दिये गये।

(D) तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के सेवानिवृत होने के उपरांत इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09.09.2015 में यह अंकित है कि वकील फरीकेन हाजिर आएं। राजस्व मण्डल का स्टे अब प्रभावी नहीं है। अतः मिसल वास्ते तलबी रेस्पों. नं. 3 व 4 दिनांक 29.09.2015 को पेश हो। तत्पश्चात पत्रावली तलबी में चलती रही।

(E) दिनांक 18.06.2018 की आदेशिका में यह अंकित है कि पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवाद के सम्बन्ध सुगम एकीकृत शिकायत निराकरण प्रणाली राजस्थान सरकार पर 2575 अभ्यावेदन प्रस्तुत होना जाहिर किया है जिसका परिक्षण होना बताया है जो निर्णय सहायक हो सकता है। अतः इस परिवाद का नतीजा क्या रहा की सूचना अपीलांट से ली जाकर पत्रावली दिनांक 11.07.2018 को पेश हो।

(F) इस सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा आज तक सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गई।

2. ऐसी स्थिति में बहस उभयपक्ष सुनी गई।

(I) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट सन् 1955 से पूर्व का राजस्थान का निवासी भूमिहीन काश्तकार है तथा चक 1 टी.एस.एम. तहसील श्रीविजयनगर का स्थाई निवासी है व उसके कब्जा काश्त में चक हाजा के मु.नं. प.नं. 164/07 के कि.नं. 1 ता 15, 19–20–23 का कुल 18 बीघा अ0क0 रकबा अरसा दराज से कब्जा काश्त में चला आ रहा है और आज भी कब्जा काश्त में है। अपीलांट का प्रा.पत्र

आवंटन का काफी समय से पेश किया हुआ है मगर इस पर क्या कार्यवाही हुई इस बारे में कुछ नहीं बताया गया तथा जब अपीलांट को यह पता चला कि रकबा लाधूराम के नाम से बहाल करने की कोशिश करवाई जा रही है तो उसने दिनांक 12.08.13 को जिलाधीश को प्रा.पत्र पेश किया इस पर सुगम में दर्ज करके कार्यवाही करने का लिखा गया। प्रा.पत्र व रसीद की नकल अधी. न्यायालय में पेश की गई। इसके बाबजूद भी अधी. न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपीलांट का सुनवाई का अवसर देने व उसके नाम से रकबा का नियमन करने , अलॉट करने का आदेश फरमावे।

(II) विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत है इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

(III) विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अधी. न्यायालय ने सही पारित किया है इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट हितबद्ध पक्षकार नहीं है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधी. न्यायालय के निर्णय व अपील के बिन्दुओं का मनन किया।

(i) निर्णय में आवंटन अधिकारी ने उल्लेख नहीं किया कि :–

(अ) आवंटन कब किया गया था?

(ब) आवंटी का रकबा आवंटन निरस्त करने की दिनांक कब की है?

(स) रकबा निरस्त कर रिज्यूम करने वाले अधिकारी का पद नाम क्या है?

(द) 1981 के आवंटन को किश्तों के अभाव में सन् 1997 में लगभग 18 वर्षों बाद जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश से निरस्त करने के पश्चात सन् 2013 में लगभग 16 वर्ष बाद बहाल करने का आदेश बिना मियाद के प्रश्न पर निर्णय किये बहाली आदेश क्यों किया?

(ii) आवंटन बहाली का आदेश दिनांक 16.08.2013 का है। प्रार्थी के आवंटन बहाली के आदेश चाहने का प्रा.पत्र 09.07.2013 का है।

आवंटन बहाली का आदेश प्रदान करते समय मूल पत्रावली भी तलब नहीं की गई। अपितु केवल सेल रजिस्टर के आधार पर तहसीलदार श्रीविजयनगर रिपोर्ट दिनांक 14.08.2013 का हवाला देते हुए उसके 2 दिन पश्चात निर्णय दिनांक 16.03.2018 को पारित किया।

(iii) निर्णय का आधार केवल उपनिवेशन(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना) राजकीय भूमि आवंटन व विकय नियम 1975 के नियम 17(8) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना 20.08.1993 को बनाया गया ,साथ ही रकबा बहाली आदेश में , रकम जमा कराने हेतु रकम व ब्याज की राशि का उल्लेख नहीं किया गया है।

हमारे मन्तव्य में उपरोक्त कारणों से निर्णय दूषित है:–

(a) उक्त नियम 17(8) के प्रावधान है कि

All annual instalments prescribed in sub sec.(6) shall be paid by the allottee, before 15th of August of every year failing which interest @12% per annum. That shall be payable on the amount of such instalment from its due date until its payment.

(b) If any two consecutive instalments shall remain unpaid, the allotment of land shall be liable to cancilation at the discreation of the allotting authority after giving 15 days notice to allottee for show cause and upon such an order of cancilation of allotment, the land shall be revert to the State Government without payment of any compensation.

(c) In case further, that, if allottee pays remaining instalment along with interest @12% per annum only form the date of default, the cancialation of allotment order shall be revoked by an allotting authority. Unless in the mean time the land has been allotted to someone else.

(d) In this matter, such conditions only could be reviewed if the original allotment order and cancilation file should have called before the taken such decision by the allotting authority.

(e) Further, It is also be taken in to the note by the allotting authority that, when the allotment was made to the person who neither paid the installment nor cultivated the land. (as in this case the land was said to have been claimed by appealant (as he were in wrong possession) on the such allottee not found residing at his original place of residence, and not where the land in question is situated and the allotment is cancelled by the competent

authority (as in this case the allotment were reported to canceled by district collector on dated 26-02-1997).

(f) We also of this opinion that, if land in question having through encroachment been possessed and cultivated by other, by appealant or by then duly allotted to another person subsequently and original allottee, who delequent of not paying instalment for 16 year's and then after remain sleeping for another 18 years of period; and third party rights come in to existence or the original situations entirely changed by laps of time, then allotting authority can not be ignored the fact, becaue it was not a matter of routine condonation of deley For the purpose of hearing on merit.

(g) Following above reason and demerits of decision, high lighted above, the allotting authority order deserve to queshed and appeal be partially admitted and remanded to learned subordinate court to examine the matter again and report to district collector as that conciallation, reported to have been happened, by the order of district collector earliar and after taking in to the note, The basic principal laid down and high lighted in this matter, passed appropriate order in the interest of justice.

(h) No order in faviour of appealant, as he has been mare trespasser on Govrnment land. Hence order of SDO dated 13-08-2013 queshed, appeal remanded with above observation for proper decision as per Law & Rule. copy of decision be sent to district collector.

निर्णय आज दिनांक 19/7/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)